

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04142

जयपुर, दिनांक:-हस्ताक्षर दिनांक

:- आदेश :-

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 16.07.2024 के बिन्दु संख्या-18.04 की अनुपालना में निम्नांकित 03 महाविद्यालयों में उनके सम्मुख अंकितानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किये जाने की सैद्धान्तिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	बजट मद	स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर	पद का नाम व विषय	स्वीकृत पद
1.	राजकीय महाविद्यालय पुष्कर, अजमेर	2202-03-103-02-00	स्नातक	सहायक आचार्य-दर्शनशास्त्र	01
			स्नातक-विज्ञान संकाय (02 वर्ग)	सहायक आचार्य-रसायनशास्त्र	01
				सहायक आचार्य-वनस्पतिशास्त्र	01
				सहायक आचार्य-प्राणिशास्त्र	01
				सहायक आचार्य-भौतिकशास्त्र	01
				सहायक आचार्य-गणित	01
				प्रयोगशाला सहायक	04
				प्रयोगशाला वाहक	04
2.	मूलचन्द भगवानदास रंगवाला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोतरा	2202-03-103-02-00	स्नातकोत्तर- लोकप्रशासन विषय	सहायक आचार्य-लोकप्रशासन	02
3.	महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर	2202-03-103-02-00	स्नातकोत्तर- लोकप्रशासन विषय	सहायक आचार्य-लोकप्रशासन	02
				कुल	18

- उपर्युक्तानुसार महाविद्यालय में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु 10 सहायक आचार्य, 04 प्रयोगशाला सहायक, 04 प्रयोगशाला वाहक सहित कुल 18 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
- अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव (प्रयोगशाला कक्ष के अतिरिक्त) के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।



Digitally signed by Dr. Narendra
Kumar Thoria
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.08.29 16:32:26 IST
Reason: Approved

4. नवीन प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय राजकीय महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखकर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए मय तकमीना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401722 दिनांक 28.08.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Dr. Narendra
Kumar Thori
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.08.29 16:32:26 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(7) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024-17458 पार्ट 1

विषय:- परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में सामान्य वाद-विवाद पर की गयी घोषणा दिनांक 16 जुलाई 2024 के बिन्दु संख्या 18.04 की अनुपालना में 03 राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय/संकाय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(8)शिक्षा/गुप-3/2024-04142 दिनांक 29.08.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थः

- 1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, कार्यालय, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 6 शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन विषय/संकाय को सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
- 2 संयुक्त निदेशक, राजसेस कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन विषय/संकाय में आगामी सभी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन विषय/संकाय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 संयुक्त निदेशक, एचआरडी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन विषय/संकाय में संकाय सदस्य/गेस्ट फैकल्टी लगवाये जाने की कार्यवाही करें।
- 5 संयुक्त निदेशक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये नवीन विषय/संकाय के संबंध में सीएमआईएस पर अद्यतन व अन्य आवश्यक कार्यवाही करें।
- 6 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार खोले गये नवीन विषय/संकाय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे।
- 7 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 8 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Vijeendra Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.08.30 16:07:50 IST
Reason: Approved

